(वाद संख्या–6291/18)

18.06.2020

प्रस्तुत मामला परिवादी, सिंगेसर दास, पिता–स्व0 बालेश्वर दास, ग्राम–रवाईय रोड पर, वार्ड नं0–1, पो0+थाना–बख्तियारपुर, जिला–पटना द्वारा आयोग में दिये गये भूमि विवाद से संबंधित आवेदन पर आयोग के निर्देश के अनुपालन में अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रसंगाधीन मामले में उल्लेखित विवाद को लेकर परिवादी द्वारा **रामजी सिंह वगैरह के विरूद्ध मुंसीफ, बाढ़ के न्यायालय में टी0एस0–40/2018 दायर किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक–02.02. 2018 को पारित आदेश में प्रश्नगत भूमि पर निर्माण कार्य को रोकने का आदेश पारित किया गया है, जिसके अनुपालन में अनुमंडलीय कार्यालय के पत्रांक–539, दिनांक–03.04.2019 से थानाध्यक्ष, बख्तियरपुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया है। फलतः मुंसीफ, बाढ़ के टी0एस0–40/2018 में दिनांक–02.02.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में परिवादी के मकान का निर्माण कार्य रूका हुआ है।**

अब, जबकि प्रसंगाधीन मामले में एक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में परिवादी के दादा के नाम से बन्दोवस्त पर्चा वाली भूमि पर निर्माण कार्य रूका हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आयोग के स्तर से उक्त के संबंध में कोई आदेश/निर्देश दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिवादी सक्षम न्यायालय से वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामला को संचिकास्त करते हुए तद्नुसार पृ0–77/प0 की प्रति संलग्न कर परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक